

न्यायालय अंचल अधिकारी, देवरी

केश संख्या - 02/2020-21
 केश का प्रकार :- विविधवाद

राज्य
 खनाम
 मो० रूसतम अंसारी

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि

आदेश तथा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित

26.6.2020

मो० रूसतम अंसारी पिता रोजो मियाँ ग्राम - मकडीहा थाना - देवरी जिला- गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर मौजा मकडीहा थाना न० - 497 खाता न० - 11, 27, 57, 50, 62 प्लॉट न०- 1321, 2690, 553, 476, 291 एवं अन्य रकवा 1.26 एकड़ जमीन ऑनलाईन पंजी II में नाम/खाता /प्लॉट/रकवा /रसीद बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें वर्णित है कि निर्गत शुद्धि पत्र कार्यालय अभिलेख तथा पंजी II के अनुसार सही नहीं है।

अतः अपना पक्ष रखने हेतु आवेदनकर्ता से मूल कागजात की मांग करें। नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 9.7.2020 को रखें।

अंचल अधिकारी,
 देवरी।

09.07.2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदन उपस्थित। ऑनलाईन रसीद निर्गत करने के लिए प्राप्त आवेदन पर राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि Online में दर्ज भूमि का पंजी II में इश्यू नहीं है। जबकि आवेदन में दावा किया कि Online पंजी II में दर्ज भूमि का विधिवत दायित्व-स्वामि जमा है। आवेदन द्वारा शुद्धि पत्र भी दावा प्रति प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही सहायक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन द्वारा उपलब्ध अन्य गैर शुद्धि पत्र में दर्ज नामांतरणवाद मूल रूप में दिनांक 16.07.2020 को प्रस्तुत करें।
 अभिलेख 16.07.2020 को रखें।

अंचल अधिकारी,
 देवरी।
 9.7.2020

16.7.2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदन उपस्थित। कार्यवाही सहायक द्वारा नामांतरणवाद की प्रति उपलब्ध

ने शहीदन खानुन के द्वारा पूर्व में अंचल कार्यालय में दिये गये आवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए था कि आवेदित भूमि गलत तरीके से बेची गयी है जिसका Title Suit सं० 254/2016 न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय आदेश की प्रति प्रस्तुत की जायेगी पुनः कार्यवाही सहायक को निर्देश दिया जाता है कि मामला रणवाद की मूल प्रति प्रस्तुत करें।
अभिलेख 30.07.2020 को रखें।

₹
16.7.2020
अ.अ.

30.07.2020 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 20.08.2020 को रखें।

₹
30.07.2020

20.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित। कार्यवाही सहायक द्वारा मामला रणवाद अभिलेख प्रस्तुत किया गया। आदेश पर रखें।

₹
20.8.2020
अ.अ.

आदेश


श्री० रूस्तम अंबारी पिता-रोजी मिर्चा, ग्राम बरडीहा
ने धाना न०-497 खाता सं० 11, 27, 57, 50, 62, फ्लॉट
सं०-1321, 2690, 553, 476, 291 रकबा-1.26 एउउ में
भूमि में Outline सुधार के लिए आवेदन दिया है।
राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के बीच प्रतिवेदन
के अनुसार आवेदित भूमि पंजी II में दर्ज है। आवेदक
द्वारा शुद्धि पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए था

अंचल कार्यालय से किया गया है। कार्यवाहक अध्यायक द्वारा नामांशवादा सं० 678/2015-16 की मूल प्रति उपस्थापित किया गया। नामांशवादा के अवलोकन से पाया गया कि प्रस्ताव भूमि की विधिवत् दाखिल-खारिज करने हुए श्रुति पत्र निर्गत किया गया है तथा Outline पेजी 11 में डण्डी है।

शहीदन खातुन का
श्री. गहिर अंसारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया। शहीदन खातुन ने फरवरी 20 20 में आवेदन देकर दावा किया था कि श्री. रुस्लम अंसारी के द्वारा फर्जी ईवाला लिखवाया है, जिसकी दाखिल-खारिज रोक जाए। परंतु प्रस्ताव भूमि की दाखिल-खारिज वर्ष 2015-16 में ही हो चुका है तथा Outline पेजी 11 में दर्ज है।

अतः ~~यह~~ राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक नामांशवादा सं० 678/2015-16 के आधार पर निर्गत श्रुति पत्र के अनुसार ऑनलाईन की लउनीडी श्रुति/प्लॉट अपडेशन कर सकते हैं।

वाद की अग्रेर कार्रवाई समाप्त की जाती है।


20.08.2020
अ. अफिकारी
देवरी।